




कर्मांक: 312/परीक्षा/2019

बिलासपुर, दिनांक: 25/11/2019


परिपत्र

विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं के दौरान परीक्षा भवन/परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के मोबाईल फोन/ इलेक्ट्रॉनिक युक्ति इत्यादि के साथ छात्र/छात्रा का प्रवेश करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

कर्मांक: 313/परीक्षा/2019  
प्रतिलिपि :-

  
परीक्षा नियंत्रक (कार्यवाहक)  
बिलासपुर, दिनांक : 25/11/2019

01. कुलपति महोदया एवं कुलसचिव के निज सचिव/निज सहायक को कुलपति एवं कुलसचिव के सूचनार्थ ।
02. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ।
03. समस्त विभागाध्यक्ष, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को इस आशय के साथ सूचनार्थ प्रेषित है कि अपने विभाग में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को निर्देश/सलाह दे कि मोबाईल फोन/ इलेक्ट्रॉनिक युक्ति इत्यादि के साथ परीक्षा भवन/कक्ष में लेकर न आये ताकि इस संबंध में उक्त वस्तुओं के किसी भी प्रकार के अनुचित साधन के रूप में उपयोग किये जाने की/खोने या गुमने की कोई संभावित घटना ही घटित ना हो और यदि ऐसा होता है तो विश्वविद्यालय प्रशासन अथवा परीक्षा से संबंधित कोई स्टाफ इस हेतु उत्तरदायी नहीं होगा।
04. वरिष्ठ केन्द्राध्यक्ष/केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्ष को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
05. मीडिया प्रभारी, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
06. समन्वयक, आई.टी.प्रकोष्ठ, सी.एस.आई.टी. विभाग को वेबसाइट में अपलोड करने हेतु प्रेषित।
07. कार्यालय प्रति।

  
25-11-2019  
उप-कुलसचिव (परीक्षा)